भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3056
गुरुवार, 6 अगस्त, 2026/15 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

राजमुंदरी विमानपत्तन से उड़ानें

3056. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उड़ान योजना के अंतर्गत राजमुंदरी विमानपत्तन को जोड़ने वाले क्षेत्रीय उड़ानों के मार्गों की परिचालन प्रगति क्या है;

(ख) उन गंतव्यों की कुल संख्या क्या है जहाँ के लिए राजमुंदरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से विमान सेवा शुरू नहीं की गई और कम उड़ानें भरी गईं और पिछले एक वर्ष के दौरान दर्ज किया गया औसत यात्री लोड फैक्टर कितना है;

(ग) पूर्व गोदावरी जिले से शुरू होने वाले इन निर्दिष्ट क्षेत्रीय मार्गों पर परिचालन करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइनों को प्रदान की गई कुल वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने रनवे की लंबाई या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) से संबंधित ऐसी किसी बाधा की पहचान की है जो राजमुंदरी विमानपत्तन पर चौबीसों घंटे परिचालन को प्रभावित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजमुंदरी विमानपत्तन पर वाणिज्यिक उड़ानों की उच्च आवृत्ति को समायोजित करने के लिए विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) अवसंरचना को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): 'उड़ान' योजना का उद्देश्य देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क में वृद्धि करना और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार, इस योजना की शुरुआत से ही राजमुंदरी हवाईअड्डे को सेवित हवाईअड्डे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

'उड़ान' 3.0 के तहत, पर्यटन आरसीएस मार्ग राजमुंदरी-विशाखापट्टनम-राजमुंदरी दिनांक 15.09.2019 को प्रचालनरत किया गया था और दिनांक 21.04.2023 तक प्रचालनरत रहा और इस अवधि के दौरान 17.35 करोड़ रुपये का व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) संवितरित किया गया था।

(घ): राजमुंदरी हवाईअड्डा 3,165 मीटर की रनवे लंबाई के साथ डीजीसीए से लाइसेंस प्राप्त 4सी हवाईअड्डा है और चौबीसों घंटे परिचालनों के लिए उपयुक्त है। दिनांक 26.05.2026 को इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया था।

(ङ): हवाईअड्डा अवसंरचना का विस्तार, आधुनिकीकरण और विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा यात्री माँग पूर्वानुमान, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, परिचालन आवश्यकताओं, एयरलाइनों से माँग और भूमि की उपलब्धता के आधार पर निष्पादित किया जाता है। इस तरह के विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किए जाते हैं।
